IJAER/May-June 2020/Volume-9/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

पुलिस जवाबदेही में शांति और कानून व्यवस्था प्रशासन

प्रो. (डॉ) गौतम वीर

प्रचार्य

बी.एस.एम (पी. जी.) कॉलेज रुड़की,हरिद्वार

सार

पुलिस और समुदाय के बीच समझ आपसी जवाबदेही स्थापित करती है । जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों और उनके द्वारा लिये गए निर्णयों की समीक्षा की जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सरकार पहलें उनके घोषित उद्देश्यों को पूरा कर रही हैं अथवा नहीं और जिस समुदाय को वे लाभान्वित करने का लक्ष्य रखती हैं, उन्हें लाभ पहुँचा रही हैं या नहीं तथा बेहतर प्रशासन एवं निर्धनता उन्मूलन में योगदान कर रही हैं अथवा नहीं। पुलिस की भूमिका विभिन्न वर्गों, समूहों और सामाजिक स्तर के साथ बदल जाती है। विद्यार्थी, श्रमिक, पत्रकार, वकील, जन–प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित व्यक्ति आदि सभी पुलिस से अपनी सोच के अनुरूप अपेक्षाएँ रखते हैं। इसके परिणामस्वरूप पुलिस को अपनी भूमिका–निर्वाह में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तरफ अपराध की विविधता और जटिलता बढ़ रही है तो दूसरी तरफ लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ रही हैं। इस वज़ह से पुलिस के सामने चुनौतियाँ भी अलग–अलग अंदाज़ में ***और*** *बदलाव के साथ आ रही हैं। वैश्विक आतंकवाद के अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिये भी पुलिस के सामने चुनौतियाँ पेश आ रही हैं। समुदायों के प्रति पुलिस की जवाबदेही के दो परिचित रूप सामुदायिक संबंध इकाईयां और नागरिक समीक्षा बोर्ड हैं। सामाजिक जवाबदेही की पहलों में वैसी विविधता और भिन्नता देखने को मिलती है जैसी भागीदारीपूर्ण बजट निर्माण , प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अधिनियमों, सामाजिक ऑडिट आदि में देखने को मिलती है जहाँ सरकार की निगरानी और नियंत्रण में नागरिकों की सहभागिता होती है।*

मुख्य शब्द – पुलिस, समुदाय, जवाबदेही, कानून, प्रशासन, नागरिक ।

प्रस्तावना

समाज कोई सरल व्यवस्था नहीं है। समाज में जहां एक ओर संगठनकारी शक्तियां कार्य करती हैं, वहीं दूसरी ओर विघटनकारी शक्तियां भी निरंतर क्रियाशील रहती हैं। समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। पुलिस एक ऐसा संगठन है जो इस समाज विरोधी कार्यों पर नियंत्रण लगाकर सामाजिक व्यवस्था और शांति की स्थापना करता है। जवाबदेही प्रत्येक सरकार के दिल में होती है, भले ही वह अपने

सटीक रूप या पैटर्न की परवाह किए बिना जिसमें वह संगठित हो, भले ही जो भिन्न हो, वह उसका फोकस, संरचना या अभिव्यक्ति का तरीका है। प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही के दो रूप हैं। जवाबदेही के पहले रूप में शीर्ष शासक द्वारा दी गई शर्तों के आधार पर जवाबदेही तय की जाती है। दूसरी ओर, जवाबदेही अनिवार्य रूप से मौलिक कारण के लिए एक बहुत बड़ा आयाम प्राप्त करती है कि यह बड़े पैमाने पर लोगों से अपनी वैधता प्राप्त करती है और इसके बुनियादी मानकों में भी परिवर्तन होता है। व्यक्तिगत पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही है 'पुलिस अधिकारियों के लिए मौलिक मुद्दा। पुलिस अधिकारी सार्वजनिक अधिकारी होते हैं जिन्हें समाज ने बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है, यहां तक कि बाध्य भी किया है। यह सुनिश्चित करना कि पुलिस अधिकारी नागरिकों की ओर से समान, कानूनी और आर्थिक रूप से उस वारंट का उपयोग करते हैं, जो पुलिस प्रशासन के मूल में है। अमेरिकी पुलिसिंग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों की स्थायी चिंता उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

मोरियार्टी के अनुसार यह सिविल अधिकारियों की उस संस्था की ओर संकेत करती है जो शांति और व्यवस्था स्थापित करने, अपराध का पता लगाने व उसकी रोकथाम करने एवं कानून को लागू करने में लगे हुए है।

काडवेल के अनुसार 'सामान्य रूप से पुलिस का कार्य सामाजिक सुरक्षा करना है। उनका प्रारंभिक कर्तव्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना तथा कानून को लागू करना है।

सदरलैंड के अनुसार पुलिस शब्द प्राथमिक रूप से राज्य के उन एजेंटों की ओर संकेत देता है, जिनका कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा नियमित अपराधी संहिता को लागू करना है।

पुलिस राज्य द्वारा स्थापित न्याय तंत्र का एक अंग होती है। यह राज्य के प्रतिनिधि के रूप में या अभिकर्ता के रूप में काम करती है। पुलिस का प्रधान कार्य कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना है। पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। पुलिस आपराधिक संहिता का प्रवर्तन करती हैं।यह कानून हंताओ को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष न्यायोचित दंड के लिए प्रस्तुत करती है।यह स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था एवं शांति स्थापना की दिशा में सदैव तत्पर तथा क्रियाशील रहती है।

उद्देश्य

1. पुलिस जवाबदेही के अध्ययन करने के लिए।
2. नियंत्रण के प्रशासनिक तंत्र के अध्ययन करने के लिए।
3. समुदाय के प्रति जवाबदेही अध्ययन करने के लिए।

सार्वजनिक जवाबदेही का अर्थ

संवैधानिकता और लोकतंत्र के विकास ने प्रशासनिक जवाबदेही की अवधारणा को जन्म दिया है। लोकतंत्र को सरकार के एक रूप की तुलना में शासन की एक प्रणाली के रूप में अधिक माना जाएगा, जहां यह मनमाने नियम का विरोध करता है और लोगों के प्रति अपने कार्यों और नीतियों के लिए जवाबदेह और पारदर्शी रहने के लिए इलाज की समानता और कानून और सरकार की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। सार्वजनिक जवाबदेही को पारदर्शिता के बिना लागू नहीं किया जा सकता है, जहां सूचना का अधिकार सार्वजनिक प्राधिकरण और कानून के शासन की कार्यवाही में मनमानी का पता लगाने के लिए उपकरण है (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत जिन्हें सत्ता के पृथक्करण और सरकारी प्राधिकरण की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है)

समुदाय के प्रति जवाबदेही

समुदायों के प्रति पुलिस की जवाबदेही के दो परिचित रूप सामुदायिक संबंध इकाईयां और नागरिक समीक्षा बोर्ड हैं। सामुदायिक संबंध इकाईयाँ पुलिस विभागों के संदेश को समुदायों तक पहुँचाने वाली हैं, लेकिन समस्याओं और समाधानों की सामुदायिक परिभाषाओं के लिए अपर्याप्त रूप से उत्तरदायी साबित हुई हैं। कुछ जगहों पर जहां वे मौजूद हैं ,नागरिक समीक्षा बोर्ड मुख्य रूप से व्यक्तिगत पुलिस अधिकारियों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, खासकर गलतियों और अक्षमता पर।

समुदाय में नागरिकों की भूमिका के बीच अंतर पुलिस और नागरिक समीक्षा बोर्डों में,वह नागरिक समीक्षा है जहां बोर्ड कथित या वास्तविक दुर्व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि सामुदायिक पुलिसिंग के मूल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है पड़ोस में समस्याएं, अपराध और जीवन की गुणवत्ता। नागरिक रिश्ते में समुदाय की भावना लाते हैं, अपने पड़ोस में समस्याओं के बारे में ज्ञान, उनके समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमता और पुलिस कार्यवाही को समर्थन या अधिकृत करने की क्षमता। पुलिस न केवल उनके कल्याण के लिए बल्कि संवैधानिक अधिकारों और सभी व्यक्तियों और समुदाय के कल्याण के लिए समुदायों की चिंताओं को लेकर आती है, इस प्रकार पड़ोस के निवासियों की प्रवृत्तियों को अत्यधिक संकीर्ण या अजनबियों या विशेष के वैध हितों के विरोध में विरोध करती है। उपसमूह हमारे लिए, समुदाय के प्रति जवाबदेही का मतलब कुछ विभिन्न है । इसका तात्पर्य समुदाय के साथ एक नए संबंध में है किस पुलिस विभाग के साथ एक समझ स्थापित करते हैं समुदाय यह कई रूप ले सकता है। एक रूप यह है कि समुदाय को नीति–निर्धारण प्रक्रियाओं में लाया जाए–एक अभ्यास जिसकी शुरुआत 1960 के दशक के दौरान डेटन, ओहियो के चीफ रॉबर्ट इग्लेबर्गर द्वारा की गई थी। समुदाय के साथ नए संबंध का दूसरा रूप, लेकिन जरूरी नहीं कि अन्य हो सबसे पहले, पुलिस और नागरिकों दोनों को नामांकित करना है जिन समस्याओं से पुलिस और नागरिक निपटेंगे, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए

प्रत्येक द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति और वांछित परिणाम। पुलिस और समुदाय के बीच की समझ, कमोबेश स्पष्ट, एक पारस्परिक जवाबदेही स्थापित करती है। यह उपाय प्रदान करता है जिसके विरुद्ध प्रत्येक दूसरे का मूल्यांकन कर सकता है। यह समझ उनके पेशेवर ज्ञान, कौशल या मूल्यों के लिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करती है। इसी तरह, यह नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। चिकित्सा सादृश्य का उपयोग करने के लिए, यह चिकित्सक और रोगी को एक दूसरे के प्रति जवाबदेह बनाता है।

सामाजिक जवाबदेही

सामाजिक जवाबदेही के संबंध में प्रचलित दृष्टिकोण यह है कि यह जवाबदेही निर्माण का ऐसा दृष्टिकोण है जो कि नागरिक सहभागिता पर आधारित है अर्थात् ऐसी स्थिति जहाँ आम नागरिक या सिविल सोसायटी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही सुनिश्चित करने में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इस तरह की जवाबदेही को कभी–कभी समाज संचालित क्षैतिज जवाबदेही के रूप में संदर्भित किया जाता है। सामाजिक जवाबदेही के तंत्र का राज्य और नागरिकों या दोनों द्वारा सूत्रपात और समर्थन किया जा सकता है, लेकिन प्रायः वे मांग–प्रेरित होते हैं और नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण से कार्यान्वित होते हैं। सामाजिक जवाबदेही के विचारों में एक जिस बात की प्रायः अनदेखी की जाती है, वह है विधि निर्माताओं की भूमिका जो वे ऐसे ज़मीनी जवाबदेही तंत्रों की महत्ता बढ़ाने में निभा सकते हैं। उदाहरण के लिये, संसद का कोई सदस्य संसद में प्रश्नकाल के दौरान किसी मंत्री से सवाल करके या किसी सरकारी मंत्रालय या विभाग से प्रत्यक्ष सूचनाओं का अनुरोध करके अपने निर्वाचकों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सामाजिक जवाबदेही की पहलों में वैसी विविधता और भिन्नता देखने को मिलती है जैसी भागीदारी पूर्ण बजट निर्माण , प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अधिनियमों, सामाजिक ऑडिट आदि में देखने को मिलती है जहाँ सरकार की निगरानी और नियंत्रण में नागरिकों की सहभागिता होती है। यह सरकारी पहल या इकाईयों से विपरीत हो सकती है, जैसे कि नागरिक सलाहकार बोर्ड जो सार्वजनिक कार्यों को पूरा करते हैं।

मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने वाली सोली सोराबजी की रिपोर्ट के बाद, यह अनुशंसा करता है कि आयोग में पांच सदस्य होने चाहिए – एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव वाला व्यक्ति (न्यायिक अधिकारी, लोक अभियोजक, अधिवक्ता। , या कानून का एक प्रोफेसर), नागरिक समाज के सदस्य और लोक प्रशासन के अनुभव के साथ एक सेवानिवृत्त अधिकारी से खड़े व्यक्ति। 46 यह भी सिफारिश करता है कि कम से कम एक सदस्य एक महिला होनी चाहिए और एक से अधिक सदस्य सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए। डीजीपी रैंक के पुलिस अधिकारी। जैसा कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट नोट करती है, मॉडल कानून की अधिकांश

सिफारिशों और महत्वपूर्ण प्रावधानों को नहीं अपनाया गया है। अब तक, केवल अठारह राज्यों ने आंशिक रूप से मॉडल अधिनियम और प्रकाश सिंह के फैसले के अनुरूप कानून पारित किए हैं। केवल छह राज्यों– असम, गोवा, हरियाणा, केरल, त्रिपुरा और उत्तराखंड और चार केंद्र शासित प्रदेशों में पीसीए हैं जो वास्तव में जमीनी स्तर पर चालू हैं, जबकि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पीसीए राज्य के साथ–साथ जिला स्तर पर भी काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, पीसीए के सदस्यों को सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश और राज्य मानवाधिकार आयोगों, लोकायुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए गए पैनल से चुना जाना है। हालांकि व्यवहार में, कार्यात्मक पीसीए के सभी मौजूदा सदस्यों को बिना किसी अपवाद के सीधे राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया गया है। अधिकारियों की नियुक्ति की एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया पीसीए जैसी एक स्वतंत्र और संस्थागत इकाई की ओर पहला कदम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कई राज्यों ने पीसीए में सेवारत पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया है, जो प्राधिकरण के उद्देश्य को विफल करता है। अधिकांश राज्यों ने पीसीए के कामकाज को नियंत्रित करने वाले न्यूनतम नियम भी नहीं बनाए हैं, इसमें जांच शक्तियों का अभाव है, शिकायत कर्ताओं और गवाहों के लिए गवाह संरक्षण का अभाव है, अधिकांश राज्यों में धन अभी भी पुलिस बजट का हिस्सा है और इससे स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि यह वर्तमान में खड़ा है, पीसीए वितरित करने में विफल रहा है। न्याय के अन्य संस्थानों की तरह, पीसीए भी जटिल प्रक्रियाओं और लोगों को डराने–धमकाने के साथ असंवेदनशील बना हुआ है।

नियंत्रण के प्रशासनिक तंत्र

प्रबंधकों के लिए उपलब्ध नियंत्रण के प्रशासनिक तंत्र की सूची पारंपरिक है शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरस्कार, अनुशासन, सहकर्मी प्रभाव, निर्देशन, पर्यवेक्षण, मान्यता और कैरियर के अवसर। इन तंत्रों का उपयोग, और उन पर जोर देना, प्रत्येक व्यवसाय में भिन्न होता है। पुलिस ने अतीत में, शास्त्रीय संगठनात्मक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, दिशा, पर्यवेक्षण, अनुशासन और सेवा–पूर्व प्रशिक्षण पर जोर दिया है। (इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य तंत्रों का भी उपयोग नहीं किया गया था। प्राथमिक तंत्र, हालांकि, वे थे जिनकी हमने पहचान की थी।) इन तंत्रों को जवाबदेही में सुधार के लिए पुलिस द्वारा अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि उन्हें कई अन्य पेशेवर और निजी क्षेत्र द्वारा अनुकूलित किया गया है। संगठन। निम्नलिखित अनुभाग में हम समकालीन पुलिसिंग के लिए नियंत्रण तंत्र के अनुकूलन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, कार्यक्रम लेखा परीक्षा, अनुशासन, इनाम और सहकर्मी नियंत्रण।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण

पुलिस शिकायत प्राधिकरण पीसीए एक तंत्र है जिसे 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पेश किया गया था। मॉडल अधिनियम के अनुसार, जो सर्वोच्च न्यायालय की

सिफारिशों को शामिल करता है, पीसीए है अनिवार्य रूप से एक निकाय जो सभी रैंकों के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त कर सकता है और सुन सकता है। इसे राज्य और जिला स्तर पर स्थापित किया जाना है। माना जाता है कि राज्य स्तरीय प्राधिकरण पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कदाचार के आरोपों को देखता है, जबकि जिला स्तर पर उप–अधीक्षक के स्तर तक के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सभी शिकायतों को देखना होता है। दिलचस्प बात यह है कि अधिकारियों के खिलाफ सुनी जा सकने वाली शिकायतों के प्रकारों में अंतर होता है; जबकि उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए केवल गंभीर कदाचार की शिकायतों पर विचार किया जा सकता है, निचले स्तर के अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकृति की शिकायतें सुनी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, पीसीए पीड़ित या पीड़ित के प्रतिनिधि द्वारा की गई शिकायतों का संज्ञान ले सकता है। कुछ राज्य कानून पीसीए को स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की अनुमति देते हैं। प्राधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दीवानी अदालत की शक्तियां हैं, जिसमें गवाह को बुलाने, पेश होने, पूछताछ करने, पंजीकरण करने के लिए मजबूर करने की शक्ति शामिल है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) या विभागीय जांच शुरू करना।

पुलिस को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने की ज़रूरत

पुलिस व्यवस्था को आज नई दिशा, नई सोच और नए आयाम की आवश्यकता है। समय की मांग है कि पुलिस नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हो और समाज के सताए हुए तथा वंचित वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील बने। देखने में यह आता है कि पुलिस प्रभावशाली व पैसे वाले लोगों के प्रति नरम तथा आम जनता के प्रति सख्त रवैया अपनाती है, जिससे जनता का सहयोग प्राप्त करना उसके लिये मुश्किल हो जाता है।

आज देश का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल चुका है। हमें यह समझना होगा कि पुलिस सामाजिक रूप से नागरिकों की मित्र है और बिना उनके सहयोग से कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या समाज की भूमिका केवल मूक दर्शक बने रहकर प्रशासन पर टीका टिप्पणी करने या कैंडल लाइट मार्च निकालकर या सोशल साइट्स पर अपना विचार व्यक्त करने तक ही सीमित है?

उपसंहार

इस अध्ययन की चिंता पुलिस की जवाबदेही में कमी नहीं बल्कि इसके बढ़ने और मजबूत होने की है। एक मायने में, एक विरोधाभास है। वे तंत्र जो नियंत्रण (आदेश और नियंत्रण प्रणाली) सुनिश्चित करने के लिए सबसे निश्चित प्रतीत होते हैं, उन्होंने नियंत्रण का भ्रम पैदा किया है, लेकिन अक्सर उससे थोड़ा

अधिक। नियंत्रण के अन्य तंत्र पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेक के उपयोग को मान्यता देते हैं और बढ़ावा देते हैं। ऑडिटिंग, पुरस्कार और सहकर्मी नियंत्रण जैसे ये तंत्र, अधिकारी की जवाबदेही बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। बिगड़ती पुलिस संस्कृति और जवाबदेही की इस संक्षिप्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि हम यह नहीं मानते हैं कि सामुदायिक पुलिसिंग से पुलिस की जवाबदेही को खतरा है। बल्कि, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का उचित प्रबंधन पुलिस संगठनों में जवाबदेही बनाए रखने के लिए अतिरिक्त अवसर जोड़ता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में पुलिस बल की शक्ति का आधार जनता का उसमें विश्वास है...और यदि यह नहीं है तो समाज के लिये घातक है। पुलिस में संस्थागत सुधार ही वह कुंजी है, जिससे कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। सभी तरह के गैर—कानूनी कार्यों पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन सत्ता में आने वाली हर सरकार पुलिस के पुराने ढाँचे को बनाए रखना चाहती है ताकि वह इस सुरक्षा बल का अपने मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सके। एक मज़बूत समाज अपनी पुलिस की इज्ज़त करता है और उसे सहयोग देता है, वहीं एक कमज़ोर समाज पुलिस को अविश्वास के दृष्टि से देखता है और प्रायः उसे अपने विरोध में खड़ा पाता है। अतः पुलिस सुधारों को सामाजिक कल्याण से जोड़कर ही इनके वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है।

संदर्भ

1. बघेल, डी.एस., (2006), क्रिमिनोलॉजी, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. परांजपे, एन.वी. (2017), क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
3. सिंह, श्यामधर, (2008) प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सपना अशोक प्रकाशन, रामनगर वाराणसी।
4. मिश्रा, चंद्रशेखर (2007), अपराध का समाजशास्त्र, मिश्रा ट्रेडिंग कंपनी वाराणसी।
5. एल्डर, जॉन, संविधान और प्रशासनिक कानून, मैकमिलन प्रेस लिमिटेड, 1994।
6. एल्डर, जॉन, संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, पालग्रेव मैकमिलन, 2007।
7. एलेक्सी, रॉबर्ट, संवैधानिक अधिकारों का एक सिद्धांत, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2010
8. ग्रानविले, ऑस्टिन, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2010।
9. हॉवर्ड मैकलवेन, चार्ल्स, संवैधानिकतारू प्राचीन और मॉडरेन, लिबर्टी फंड इंडियाना पोलिस, १६७५।